

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एक 9(4)(31)उ.नै.छा / सान्वाजवि / 2020-21 / 8/65

दिनांक : 3/3/21

आदेश

विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांक 239 दिनांक 29.01.2021 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, धुमन्तु एवं अर्द्धधुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	28 फरवरी 2021	31 मार्च 2021

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव